मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-6-1-2015/नियम/चार | भोपाल, दिनांक 30-9-2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश भोपाल.

विषय.—संतान पालन अवकाश-बारबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.).

1. म. प्र. राजपत्र दिनांक 22-8-2015 में जारी अधिसूचना द्वारा म. प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 में नियम 38(सी) जोड़ा जाकर राज्य सरकार की महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता निर्धारित की गई है. संतान पालन अवकाश के आवेदन, स्वीकृति आदि बिन्दुओं पर विभिन्न माध्यमों से कतिपय जिज्ञासायें समक्ष में आई हैं. इन जिज्ञासाओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है.

स. क्र. (1)	बिन्दु (2)	उत्तर (3)
1.	क्या, संतान पालन अवकाश लेने के लिए प्रारूप निर्धारित किया गया है?	म. प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 13 (1) के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र, अवकाश नियमों में वर्णित समस्त प्रकार के अवकाशों के लिए है. अत: यही प्रारूप संतान पालन अवकाश लेने के लिए भी है.
2.	संचालन पालन अवकाश की स्वीकृति के लिए किस स्तर पर प्राधिकारिता है?	अवकाश नियमों में उल्लेखित अवकाश, यथा, अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश तथा मातृत्व अवकाश आदि के स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रशासकीय विभागों द्वारा किया गया है. अत: संतान पालन अवकाश स्वीकृति के प्राधिकार, संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये गये अवकाश स्वीकृति के प्राधिकार के अनुसार होगा.
3.	संतान पालन अवकाश अवधि में वेतन की पात्रता क्या होगी?	अवकाश नियम 38(सी) के उप पैरा (5) के प्रावधान अनुसार अवकाश वेतन की पात्रता होगी.
4.	वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को संतान पालन अवकाश की स्थिति में क्या 01 जुलाई से ही वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा?	अवकाश अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त होता है जो कि अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व का होता है. अत: 01 जुलाई को देय वार्षिक वेतनवृद्धि प्रोफार्मा वेतनवृद्धि के रूप में मिलेगी तथा वास्तविक लाभ अवकाश पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्राप्त होगा. इसके परिणामस्वरूप आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि परिवर्तित नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृष्ठा. क्रमांक एफ-6-1-2015-नियम/चार | भोपाल, दिनांक 30-9-2015

प्रतिलिपि :—

1. . . . .